कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, फैजाबाद

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–05/अधि0अभि0/2016–17

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित मुहरबन्द निविदायें वर्गीकृत श्रेणी में सिंचाई विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांकः18.11.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक इस कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा समिति/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः15.11.2016 से दिनांकः17.11.2016 सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फैजाबाद, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, टाण्डा अम्बेडकर नगर के कार्यालय एवं पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा फैजाबाद में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा क्रय करने हेतु (1) पंजीकरण (2) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1) (3) हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2) की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा तथा उनकी सत्यापित प्रतियां भी ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हुआ हो, भी जमा करने के पश्चात् निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फैजाबाद के पक्ष में बन्धक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

क्र0	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जलालपुर ड्रेन की सिल्ट सफाई का कार्य	बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार	2.10	0.21	15दिवस	150+वैट+500 स्टेशनरी	"सी" श्रेणी एवं उच्च

प्रत्येक निविदा दाता को:-

1- रू0-100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रुपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैंप ड्यूटी तथा जमानत की अवशेष सिक्योरिटी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ0डी0आर0, राष्ट्रीय बचत पत्रों अथवा एक वर्षीय डाकघर सावधि के माध्यम से ही जमा करना अनिवार्य होगा।

2- यह निविदा सूचना सिंचाई विभाग की वेबसाइट http://irrigation.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की वेबसाइट http://irrigation.up.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फैजाबाद के नाम राष्ट्रीय बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ IDT-1, IDT-2, IDT-3 व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3- कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

4- राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेंगें। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

5- एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।

6- यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदा दाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

7- यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदा दाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदा दाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

8- निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील निविदा को इसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त कराई जायेगी, जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित उपखण्डीय/खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगे ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बाक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें, निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक ही प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नही होगा।

9- प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदा दाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक-ठीक उपलब्ध करायी है या नही। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोष जनक होने की स्थिति में निविदा दाता द्वारा दी गई दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नही की जायेगी।

10- ठेकेदारों से अनुरोध है कि निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें।

11- निविदा दिनांकः18.11.2016 को अपरान्ह 2.00बजे तक खण्डीय कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फैजाबाद में टेण्डर बाक्स में डाली जा सकेगी। विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फैजाबाद के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।

12- चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, स्व घोषणा प्रमाण-पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेंगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

13- निविदा में अंकित कार्य की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

14- शासनादेश सं0-622-23-12-2012-2आडिट/08 टी0सी0,दिनांकः08.06.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा एक प्रतिशत से 10प्रतिशत तक दर कम होने पर, 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कमी पर तथा 10प्रतिशत से अधिक दरों की कमी पर, प्रति एक प्रतिशत कमी पर एक प्रतिशत अतिरिक्त परफार्मेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।

15- निविदा दाता द्वारा स्थायी लेखा संख्या (PAN) एवं व्यापारी पहचान संख्या (TIN) दिया जाना आवश्यक है।

16- फर्म को भुगतान के समय नियमानुसार करों की कटौती बीजकों से की जायेगी।

17- निविदा दाता को निविदा क्रय करते समय आयकर एवं व्यापारकर विभाग से प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18- निविदा आमंत्रण की कार्यवाही धनावंटन की प्रत्याशा में की जा रही है तथा धनावंटन प्राप्त होने पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।

19- यदि किसी कारणवश निविदा प्रक्रिया की तिथियों में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा प्रक्रिया की तिथि तदनुसार अगले कार्य दिवस को उसी समय सम्पन्न किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड-फैजाबाद